12 hrs.

RE. MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CORRECTION OF RECORDS

Mr. Speaker: Calling-attention notice—Shri S. M. Banerjee.

डा० राम मनोहर लोहिया (फ़र्रुखाबाद): अध्यक्ष महोदय, मेरी विनती है कि स्थगन-प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव पर कुछ फैसला देने के पहले आप अपने कल के निर्णय पर पुनर्विचार करें। कल आप ने कहा था कि किसी भी ध्यानाकर्षण या स्थगन-प्रस्ताव को आप समय की कसौटी पर मानेंगे। मेरी आप से अर्ज है कि समय की कसौटी सिर्फ़ उन प्रस्तावों के लिए रखी जा सकती है, जो एक ही ढंग के हों। जो प्रस्ताव, चाहे वे स्थगन-प्रस्ताव हों या ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव, बिल्कुल अलग अलग महत्व के हैं, उन के लिए कसौटियां दूसरी होनी चाहियें। मैं आप से यह भी अर्ज करूं कि अभी नियमों में कोई नियम ऐसा नहीं है, जिस के द्वारा आप केवल समय की कसौटी को मानें। मेरी अर्ज आप से यह है कि आप ४४ करोड़ के व्यापक और तात्कालिक हितों को मानें। इस लिये कसौटियां दो हुई : एक कसौटी —— लोक-हित की व्यापकता और दूसरी कसौटी——लोक-हित की तात्कालिकता। यदि कई प्रस्ताव एक ही किस्म के आते हैं, तो वहां आप समय की कसौटी को मान सकते हैं, लेकिन जब अलग अलग ढंग के प्रस्ताव हैं, तो पिछले डेढ़ दो महीने में, इन दोनों बातों के बीच में देश में जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं, उनको लोक-हित की व्यापकता और लोक-हित की तात्कालिकता की कसौटी पर जांचना चाहिए।

मैं समझता हूं कि पिछले डेढ़ दो महीनों में देश में भुखमरी और कमी की जो हालत रही है, उस को अगर इन दोनों कसौटियों पर जांचा जाये —— मैं किसी प्रस्ताव पर नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल इन कसौटियों पर बोल रहा हूं .....

अध्यक्ष महोदय : इसी लिये मुझे तक्लीफ़ है कि जब कोई प्रस्ताव सामने न हो, तो उस वक्त कोई मेम्बर नहीं बोल सकता। पहली बात डाक्टर साहब की ख़िदमत में मैं ने यह कहनी है कि इस हाउस में हम ने आर्डर आफ़ बिज़िनेस के मुताबिक ही काम करना है और अगर कोई मेम्बर साहब ऐसी कोई चीज़ उठाना चाहते हैं, तो वह मुझे पहले सूचना दें और मुझ से मिल लें। आप ने कल मुझे एक चिट्ठी लिखी थी। मैं आप को बाद में वक्त देता और आप उस समय अपनी बात कह सकते थे। लेकिन क्या इस तरह काम चलेगा कि जिस वक्त आप का जी चाहे, जो आप का जी चाहे, वह इस हाउस में उठा लें ? क्या इस तरह से काम चल सकेगा ?

डा० राम मनोहर लोहिया : आप के जवाब से मैं ने यही समझा था कि आप इस वक्त मुझे वक्त देंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य देख लें कि जब मैं कालिंग एटेन्शन नोटिस को ले रहा हूं, तो वह बगैर इन्तज़ार किये हुए अपनी बात को उठा देते हैं और चाहते हैं कि हाउस में जो काम चल रहा है, उस को बन्द कर दिया जाये और दूसरे माननीय सदस्य बैठ जायें। मैं डाक्टर साहब के सामने ही यह सवाल पेश करता हूं कि क्या इस तरह से काम चल सकेगा।

डा० राम मनोहर लोहिया : दूसरे नियम के बारे में आप के हुक्म, और मेरे नेता ने जो सलाह दी थी, उस को मैं ने मान लिया था। लेकिन आप ने यह निर्णय दिया था। मैं किसी एक प्रस्ताव पर नहीं बोल रहा था। मैं यही समझा था कि आप इस को पहले लेंगे। मुझे श्री राम सेवक यादव से यही पता चला।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप ने यह समझा था, तो मुझे अफसोस है। या तो

[अध्यक्ष महोदय]

आप के लीडर साहब को समझाने में मेरी गलती हुई, या उन्होंने ग़लत समझा, मगर चूंकि आप ने इस बात को उठाया है, इस लिए मैं इस को ले लेता हूं ।

आप ने कहा है कि आप ने पहली बात मान ली । आप ने मुझे चिट्ठी लिखी कि वैसे तो आप मेरे पास आने के लिये खुश होंगे, लेकिन आप इन बातों के लिये ज्यादा आना पसन्द नहीं करते । आप ने रिकार्ड को दुरुस्त करने का जो सवाल उठाया था, उस के दो ही तरीके हो सकते हैं । यह तो नहीं हो सकता कि मैं सब रिकार्ड उठा कर यहां पर पढ़ना शुरू कर दूं कि उस में कोई गलती हुई या नहीं । या तो आप मुझे वक्त देते । आप जहां कहें, —— मैं मज़ाक मैं नहीं टाल रहा हूं ——लाइटली नहीं कह रहा हूं, मैं रिकार्ड ले कर आप के पास आने के लिए तैयार हूं, अगर आप आने के लिये तैयार नहीं हैं । मुझे कोई एतराज़ नहीं है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं हमेशा तैयार हूं, लेकिन यह आप के कक्ष का मामला नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने कल भी कहा था । यहां पर इस का ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है । अगर प्रिंटिंग में कोई गलती है, तो उस को हाउस में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाउस में उस पर कोई फैसला नहीं करना है । जो प्रिंटिंग में गलती का मामला है, उस को मेरे पास लाया जाये, तो वह वहीं दुरुस्त हो सकता है । वह बात तो वहीं खत्म हो जाती है ।

दूसरी बात आप ने यह कही कि कल मैं ने जो कहा कि श्री नाथपाई का जो मोशन था, चूंकि वह ऑलिएस्ट नोटिस था, इसलिये मैं उस को लेता हूं, वह नियम गलत है और आप को उस पर एतराज है । आप का कहना है कि टाइम की जो प्रायर्टी है, उस का ख्याल नहीं रखना चाहिये जिस का ऑलियर नोटिस है, वह नहीं लेना चाहिये, बल्कि स्पीकर को यह देखना चाहिये कि कौन सा मजमून है, जो देश के लिये बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण है और उस को लेना चाहिये । क्या मैं आप को ठीक समझ रहा हूं ? यही बात है न ?

डा० राम मनोहर लोहिया : जी हां, व्यापक ४४ करोड़ का जिस में हित है । केवल गम्भीर नहीं—वह तो तात्कालिकता में आयगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप रूल्ज को पढ़ें, तो आप देखेंगे कि एडजार्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में स्पीकर का यह काम है कि जब उस ने कन्सेन्ट देनी है, तो उस ने देखना है कि आया वह इन आर्डर है । बाकी इस हाउस का काम है कि वह देखे कि उस की कितनी एहमियत है, कितनी गम्भीरता है और वह उस को कितना ज़रूरी समझता है और वह उसको सैक्शन देता है या नहीं । जब मेरे पास नोटिस आते हैं और मैं देखता हूं कि एक से ज्यादा मोशन इन आर्डर हैं, तो मैं और कोई तरीका नहीं समझता सिवाय इस के कि जो पहले आया, उस को पहले लूं, जो उस के बाद आया, उस को दूसरे दर्जे पर लूं । मैं ने सिर्फ इतना देखना है कि वह इन आर्डर है या नहीं । वैसे वह मोशन स्टेल हो चुका था, इतने दिनों का मामला था और नोटिस भी मेरे पास दस पन्द्रह दिन से आया हुआ था, मगर हमारा कायदा है कि फर्स्ट आपरचुनिटी पर उस मामले को लाया जाय और जो पहले नोटिस दिया गया है उस के बारे में भी समझा जायेगा कि वह दस बजे नोटिस आया । चूंकि यह पहला दिन था और उन को इस मामले को उठाने की पहली आपरचुनिटी थी, इस लिये मेरे पास और कोई चारा नहीं था । मैं ने समझा कि वह इन आर्डर है, और इसलिये मैं ने उस को पहले ले लिया । यह बात एडीशनल है कि जब एक से ज्यादा एजार्नमेंट मोशन इन आर्डर हैं,

तो जो पहले आया है, मैं उस को पहले लूं और अगर हाउस उस को रिजेक्ट कर दे, तो जो दूसरा हो, उस को मैं आप के सामने पेश कर दूं ।

इसलिये मैं ने जो कल कहा, वह दुरुस्त कहा है, वह रूल्ज के मुताबिक है और उस में कोई तब्दीली करना मैं मुनासिब नहीं समझता।

कालिंग एटैन्शन नोटिस ।

श्री बागड़ी (हिसार) : इस बारे में आप ने यह कहा है कि मेरे पास जो पहले आया था, समय के अनुसार मैं उस को पहले लेता और अगर हाउस उस को नामन्जूर करता, तो दूसरे को लेता । मगर हालात इस से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं । हमारा जो काम-रोको प्रस्ताव था, आप ने पहले ही उस को नामंजूर कर दिया । आप को कैसे पता लगा कि हाउस उस को मन्जूर करेगा या नहीं ? जो काम-रोको प्रस्ताव एक गम्भीर परिस्थिति के सम्बन्ध में था, जो अकाल के सम्बन्ध में था, जिस का सम्बन्ध ४४ करोड़ लोगों से था, उस को आप ने पहले रिजेक्ट कर दिया । फिर आप उस को विचाराधीन कैसे कहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने यही कहा है कि पहले मेरा काम है कि देखूं कि वह इन आर्डर है या नहीं । अगर मैं ने आप के नोटिस को इन आर्डर ही नहीं पाया, तो सवाल ही नहीं था कि उस के टाइम का कोई निर्णय किया जाता । उस को आप गम्भीर और जरूरी समझते हों, मैं बेशक गलती पर हूं, लेकिन मैं ने जो फैसला देना है, आखिर उसी पर अमल होगा । जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं ने उस को इन्कार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि उस को हाउस के सामने रखा जाता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । मैं ने श्री इन्द्रजीत गुप्त को बुलाया है ।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरा थोड़ा निवेदन सुन लीजिए—एक मिनट के लिये मेरा निवेदन सुन लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने श्री इन्द्रजीत गुप्त को बुलाया है । माननीय सदस्य बैठ जायें ।

Shri Indrajit Gupta (Calcutta—South-West): Yesterday when Mr. Nath Pai's adjournment motion was admitted, I had asked you here on the floor of the House as to what would be the fate of the other adjournment motions. You were good enough to say that they would be taken up and disposed of today. Before the Calling Attention notice comes up, I would like to know the position because we have tabled an adjournment motion on a very important question regarding the abnormal rise in rice prices in West Bengal.

Mr. Speaker: I was informed that the Minister was going to make a statement. In order to come to a decision, I can ask the Minister to give me the facts. The adjournment motion can come up only on the facts that are admitted or established. And if the Speaker finds that he should know something further from the Minister and the statement should be made, then he can ask the Minister. But, incidentally, the Minister had also said, in response to other notices, that he would make a statement. I have kept the adjournment motion in abeyance. I have not decided it. I shall just listen to the statement and then I shall take a decision on that.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): May I make a submission? Previously, what used to happen in regard to adjournment motions was this. Actually, the Speaker used to read that out and then allow us to make a statement or the Minister to make a statement. You, Sir, in your wisdom have changed

[Shri S. M. Bannerjee]

the procedure, and you want simply to hear the hon. Minister before admitting the adjournment motion. Now, here is an opportunity that you are giving to the hon. Minister to make a statement, and then you will be deciding whether the adjournment motion is to be admitted or not. When once the hon. Minister makes a statement, may I know whether it will be considered that the adjournment motion still remains there, and we have a right to censure the Government and demand that they should resign?....

Mr. Speaker: There is one other thing that I must bring to the notice of the hon. Members. Though there is an element of censure involved in the adjournment motion, yet, it is not a direct censure motion. When the Members insist that they want to censure Government, why do they not come forward with a direct motion for censure of Government? They have that right.

Shri Indrajit Gupta: An adjournment motion is a censure motion.

Mr. Speaker: An adjournment motion is not a censure motion, but it is quite distinct. I differ from the hon. Member.

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): May I plead with you one thing that if you would kindly look into the earlier debates, you will find this? I remember that Shri Mavalankar on many occasions told us that he would not permit us to move the adjournment motion, because it had an element of censure in it. So, there is in an adjournment motion clearly an element of a censure motion. There can be a no-confidence motion and there can be an adjournment motion, but we have no such thing as a censure motion.

Mr. Speaker: We have. A censure motion can always be brought forward by any Member of the House. Though I do not recollect the ruling given by Shri Mavalankar, my distinguished predecessor, yet, I too have said that an adjournment motion has an element of censure about it. I have also said that, but it is not a censure motion.

Shrimati Renu Chakravartty: There is no censure motion provided for in our rules. Where is the censure motion provided for?

Mr. Speaker: I can convince the hon. Member that we have that provision. A censure motion can always be brought forward by any Member against the Government. That is open to him.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): There is only provision for expressing want of confidence.

Mr. Speaker: A motion for expressing no confidence is a different thing.

Shri Hari Vishnu Kamath: There is no word 'censure' occurring in our Rules of Procedure.

Shri S. M. Banerjee: Where is the censure motion provided for in our Rules of Procedure?

Mr. Speaker: We can discuss it and thrash it out. I shall tell the hon. Member where it is provided for.

So far as Shri S. M. Banerjee's question is concerned, namely whether after the statement has been made by the hon. Minister, the adjournment motion stands as a valid one or whether it disappears, I would like to say that the adjournment motion remains. It may be possible that after a statement has been made in detail and all the facts given, then occasion may arise when there ought to be an adjournment motion; that also is possible. After the statement

is made, there might be a possibility for that as well. But it will depend upon the circumstances. It is not that it would be there because I had said that and, therefore, the occasion had arisen, but that would depend upon the circumstances.

Shri Ranga (Chittoor): What about the other adjournment motions? You had said that they would be taken up today. So, all of them are still there.

Shri Hem Barua (Gauhati): May I make a submission?....

Mr. Speaker: Now, we should proceed with the Order Paper.

Shri Hem Barua: May I submit that I had tabled an adjournment motion on the breakdown of the Gauhati refinery incurring a loss of Rs. 63 lakhs? This morning, I am told that permission has been withheld for it on the ground that there is an unstarred question....

Mr. Speaker: Should I then give consent now?....

Shri Hem Barua: That shows that the attempt is to treat it lightly. An unstarred question cannot replace an adjournment motion.

Mr. Speaker: Order, order. Now, the hon. Member should sit down.

श्री रामेश्वरानन्द : मुझे भी एक निवेदन करना है और उस को भी आप सुन लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, मुझे एक जवाब दे लेने दीजिये ।

श्री बागड़ी : मैं एक बात कहना चाहता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं । आप बैठ जाये । उन से मैं ने कहा है कि मुझे एक जवाब दे लेने दीजिये । और आप खड़े हो गये हैं ।

श्री बागड़ी : मुझ को सुन लीजिये...

अध्यक्ष महोदय : क्या इस तरह से काम चलता रह सकता है । मेरा ख्याल है कि इस तरह से तो सारा दिन चला जायेगा और कोई काम नहीं हो सकेगा । एक के बाद एक खड़े होते जायेंगे तो कोई कार्यवाई नहीं कर सकेंगे ।

श्री हेम बरुआ ने कहा है कि उन को पता लग गया था कि मैं ने एडजार्नमेंट मोशन को कंसेन्ट विदहोल्ड की थी । मुझे अफसोस है कि बार बार खड़े हो कर उन्हों ने उस पर आग्रह करना शुरू कर दिया । मैंने बहुत बार दरख्वास्त की है, बहुत बार कहा है और इतने डिस्टिंगुइश्ड और एक्सपीरियेंस्ड पार्लियामेंटरियन...

Shri Hem Barua: May I have it in English?

Mr. Speaker: I am very sorry that a distinguished and experienced parliamentarian like Shri Hem Barua should get up again, when he has the knowledge that consent has been withheld to his adjournment motion, and raise it in the House instead of coming to me and discussing whether it can be taken up or not. I have so many times ruled it here. So I take strong objection to such behaviour. This should not happen.

Shri Hem Barua: On a point of personal explanation. I just wanted to know the procedure. I did not want to butt in.

श्री बागड़ी : जनाब ने जो यह निर्णय दिया डा० राम मनोहर लोहिया के कहने के बाद कि जो कामरोको प्रस्ताव होता है वह तब ही आ सकता है जब कि स्पीकर हालात की रोशनी में, रूल्ज को देख कर उसकी इजाजत देता है, जब वह यह फैसला दे देता है कि उसे हाउस में रखा जाए या न रखा जाए, वह रखे जाने के काबिल है या रखे जाने के काबिल नहीं है । कायदे कानून आदि

[श्री बागड़ी]

जो हैं, उन सब को देख कर उसको रखे जाने की वह मंजूरी या नामंजूरी देता है । दूसरे आपने बताया कि किसको पहले लिया जाए और किसको बाद में । मैं आदरपूर्वक निवेदन करूंगा कि अगर देश में भुखमरी है, अकाल है, लोग भूखों मर रहे हैं और इसको मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं तो .....

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप बैठ जायें .....

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय .....

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन लीजिये । मैं खड़ा हो गया तो आपका बैठना लाजिमी है (interruptions) जब मैं खड़ा हुआ हूं तो आप का बैठना लाजिमी है । बातें यहां सब कही जा सकती हैं, लेकिन उनको कहने के लिये कायदे हैं । हर एक बात एडजार्नमेंट मोशन से नहीं हो सकती है । आप उसके बारे में सवाल दे सकते हैं, शार्ट नोटिस क्वेश्चन दे सकते हैं, और कोई चीज कर सकते हैं, और कोई कार्रवाई कर सकते हैं । जब आपने एक कार्रवाई की है और मैंने उसे नामंजूर कर दिया है, तो उसके बावजूद अगर आप खड़े होकर बोलते चले जायेंगे और जिद् करेंगे तो यह बात दुरुस्त नहीं है ।

श्री बागड़ी: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है .....

अध्यक्ष महोदय: आप दोहरा नहीं सकते हैं, बार बार एक ही बात को नहीं कह सकते हैं । आप बार बार नहीं कह सकते हैं कि वहां भूखों मर रहे हैं और इतना नुकसान हुआ है । जो मैंने किया है वह अगर गलत है तो आप बैठ कर मुझ से बात कर सकते हैं (interruptions) इस तरह से मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता हूं ।

श्री रामेश्वरानन्द : जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं वे जितना आपको खराब करते हैं, उसको मैं स्वयं देखता हूं । उनके सामने आप बैठ जाते हैं और वे बोलते रहते हैं । हम सभ्य भाषा में बोलते हैं और आप जब कहते हैं तब बैठ जाते हैं । लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है ।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने भी आपको एक कामरोको प्रस्ताव दिया है । उस पर आपने क्या निर्णय दिया है, क्या वह आपके विचाराधीन है या क्या उसका हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : आपको उसकी इत्तिला दे दी जायेगी ।

12·19 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ESPIONAGE ACTIVITIES BY PERSONNEL OF PAKISTAN HIGH COMMISSION

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I call the attention of the Prime Minister to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

> The recent espionage activities by personnel of the Pakistan High Commission in New Delhi.

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon): On November 8, at about 7 P.M, the Delhi Police apprehended one Abdul Majid, together with one Bijay Kumar Bhattacharya, an Assistant in the office of the Deputy Financial Adviser to the Ministry of Defence. The two were taken to the nearby police station, where Abdul Majid disclosed that he had known Bhattacharya since March, 1959, when he used to accompany Mohd. Latif Malik, a Second Secretary in the Pakistan High Commis-